(34)

संख्या /XVI(1)/11/10(8)/2006

प्रेषक,

जी0एस0 पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखड,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 07 जनवरी, 2012

विषयः– **हार्टिकल्चर टैक्नोलाजी मिशन के एम0एम0–III के तहत स्वीकृत ग्रेविटी बेस्ट रोपवे–आला से सितेल जनपद चमोली के क्रियन्वयन हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के निर्देश संख्या–1385/XVI(1)/10/10/(8)/2006 दिनांक 22–12–2010 के क्रम में उपनिदेशक, मण्डी के पत्र संख्या–उ0म0प0/नि0खं0 देहरादून/–1049, दिनांक 01–09–2011 द्वारा जनपद चमोली में आला से सितेल हेतु ग्रेविटी बेस्ट रोपवे निर्माण के लिए प्रस्तुत आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु एम0एम0–III के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत रु0 15.94 लाख का राज्यांश 66.67 प्रतिशत अर्थात रु0 10.63 लाख (रु0 दस लाख तिरसठ हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजना 2401–119–03–0307–उत्तर फसल प्रबन्धन के उपमानक मद–24–वृहद निर्माण मद से व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये ही किया जायेगा।
(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–03–2011 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) प्रश्नगत कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के तहत किया जायेगा।
(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानकों से अधिक व्यय कतापि न किया जाय।
(5) एक मुस्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेक अप किया जाय।
(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार

—2

निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा रोपवे का निर्माण नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा।

(11) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास–0307–उत्तर फसल प्रबन्धन के उपमानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

(12) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 331(P)/XXVII(4)/2011 दिनांक–12 जनवरी, 2012 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जी0एस0 पण्डे)
अपर सचिव

संख्या 190(1)/XVI(1)/11/10(8)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3–जिलाधिकारी, चमोली।
4–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली उत्तराखण्ड।
5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर,देहरादून।
6–राज्य योजना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8–गार्ड फाईल।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर सचिव